"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38.सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 260] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 18 अक्टूबर 2005—आश्विन 26, शक 1927

विधि और विधायी कार्य विभाग

रायपुर, दिनांक 18 अक्टूबर 2005

क्रमांक 8112/21-अ/प्रारुपण/04.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के अधीन छत्तीसगढ़ के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया निम्नलिखित (संशोधन) अध्यादेश, 2005 (क्र. 3 सन् 2005) सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विमला सिंह कपूर, उप-सचिव.

छत्तीसगढ़ अध्यादेश
(क्रमांक 3 सन् 2005)

छत्तीसगढ़ सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी (संशोधन) अध्यादेश, 2005

छत्तीसगढ़ सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम, 1999 (क्रमांक 23 सन् 1999) को और संशोधित करने हेतु अध्यादेश.

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया.

यत: राज्य के विधान मंडल का सत्र चालू नहीं है और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल का समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं, जिनके कारण यह आवश्यक हो गया है कि वे तत्काल कार्यवाही करें.

अतएव भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

1. (1) इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी (संशोधन) अध्यादेश, 2005 है.

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

छ. ग. सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम, 1999 (क्र. 23 सन् 1999) को अस्थायी रूप से संशोधित किया जाना.

2. इस अध्यादेश के प्रवर्तित रहने की कालावधि के दौरान छत्तीसगढ़ सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम, 1999 (क्र. 23 सन् 1999) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) निम्नलिखित विनिर्दिष्ट संशोधनों के अध्यधीन रहते हुए प्रभावी होगा.

धारा-4 का संशोधन.

3. छत्तीसगढ़ सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम, 1999 (क्र. 23 सन् 1999) की धारा-4 की उपधारा (5) के स्थान पर निम्नलिखित स्थापित किया जाए अर्थात् :—

"प्रबंध समिति के अध्यक्ष और सदस्य को, यदि पूर्व में वापिस न बुलाया गया हो, तो वे धारा 21 की उपधारा (1) के अधीन सक्षम प्राधिकारी की नियुक्ति राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए पद पर रहेंगे.

परन्तु प्रबंध समिति के अध्यक्ष और सदस्यों को पदावधि का अवसान होने पर, यदि नई प्रबंध समिति गठित नहीं की जाती है तो राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, प्रबंध समिति के अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि में वृद्धि, ऐसी वृद्धि के लिए कारण अभिलेख पर रखते हुए ऐसे अवसान की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के लिए कर सकेगी."

रायपुर, दिनांक 18 अक्टूबर 2005

क्रमांक 8112/21-अ/प्रारुपण/04.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी (संशोधन) अध्यादेश, 2005 (क्र. 3 सन् 2005) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विर्मला सिंह कपूर, उप-सचिव.

CHHATTISGARH ORDINANCE
(No. 3 of 2005)

THE CHHATTISGARH SINCHAI PRABHANDAN ME KRISHAKON KI BHAGIDARI (AMENDMENT) ADHYADESH, 2005

An ordinance further to amend the Chhattisgarh Sinchai Prabhandan Me Krishkon Ki Bhagidari Adhiniyam, 1999 (No. 23 of 1999).

Promulgated by the Governor of Chhattisgarh in the Fifty Sixth year of the Republic of India.

Whereas the State Legislature is not in session and the Governor of Chhattisgarh is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (I) of Article 213 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh is pleased to promulgate the following Ordinance :—

Short Title and Commencement.

1. (1) This ordinance may be called the Chhattisgarh Sinchai Prabhandan Me Krishkon Ki Bhagidari (Amendment) Adhyadesh, 2005.

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

Chhattisgarh Sinchai Prabhandan Me Krishkon Ki Bhagidari Adhiniyam, 1999 (No. 23 of 1999) to be temporarily amended.

2. During the period of operation of this Ordinance, the Chhattisgarh Sinchai Prabhandan Me Krishkon Ki Bhagidari Adhiniyam, 1999 (No. 23 of 1999) Chereinafter referred to as the Principal Act) shall have effect subject to the following specified amendments.

Amendment of Section-4.

3. For Sub-section (5) of section 4 of the Chhattisgarh Sinchai Prabhandan Me Krishkon Ki Bhagidari Adhiniyam, 1999 (No. 23 of 1999), the following shall be substituted, namely:—

"The President and the members of the Managing Committee shall if not recalled earlier, be in office for a term of five years from the date of appointment of the competent authority under sub-section (1) of section 21;

Provided that if on the expiry of the term of the President and the members of the Managing Committee, a new Managing Committee is not constituted, the State government may by notification extend the term of the President and the members of the Managing Committee for a period of One year from the date of expiry, with reasons for such extension being placed on record."

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2005.